

छत्तीसगढ़ शासन

टीप - प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पर्नविनियोजन प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं आता है और इससे राज्य शासन द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त का उल्लंधन नहीं होता है।

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर